न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 28/2013

अपीलांट
अनवर पुत्र बीण्डा जाति
मुसलमान निवासी करीम का
पार तहसील,गडरारोड

बनाम्

रेस्पोडेंट्स
1.सालार पुत्र महेन्द्रा
2.अमर पुत्र मलार
3.सादी पुत्र मलार
4.लतीफ पुत्र मलार
5.जुसब पुत्र मलार
6.हारूण पुत्र मलार
7.मीठु पुत्र मलार
8.मुस्मात मानु बेवा मलार
9.सुमार पुत्र सकूर
10.करीम पुत्र फता
11.हाकम पुत्र फता
12.सफी पुत्र हामीद
13.कला पुत्र हामीद
14.साहसा पुत्र हामीद
15.रहीम पुत्र सेहता
16.मयाजल पुत्र वली
17.हाफिद पुत्र आलम
18.कचरा पुत्र आलम
19.साहली पत्नि आलम
जातियान मुसलमान
निवासीयान करीम का पार
तहसील,गडरारोड
20.प्रबन्धक बी.सी.सी.बी बैक
शाखा गडरारोड
21.राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार,गडरारोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 19.02.2013 द्वारा उप तहसीलदार गडरारोड

उपस्थितः–1.श्री महेन्द्र रामावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.रेस्पोडेंट संख्या 01 से 17 एक तरफा।
3.श्री सोहन दवे अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 21 की ओर से।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 25.10.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 19 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1676 रकबा 71 बीघा 02 व खसरा नम्बर 1648 रकबा 402 बीघा 13 विस्वा मौजा लालासर तहसील गडरारोड में आयी हुई है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 19 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार, गडरारोड के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया था, जिस पर उप तहसीलदार गडरारोड ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2013 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर विभाजन स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया।
2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की गई।
3. प्रकरण दिसम्बर,2014 से बहस में होने, रेस्पोडेंट संख्या 01 09, 12, व 15 के अधिवक्ता को बहस हेतु कई अवसर देने एंव वक्त बहस अपीलांट के अधिवक्ता हाजिर नहीं आने से रेस्पोडेंट संख्या 01 09, 12, व 15 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
4. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एंव राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मौजा लालासर के खसरा नम्बर 1676 रकबा 71 बीघा 02 विस्वा व खसरा नम्बर 1648 रकबा 402 बीघा 13 का अपासी सहमति हेतु विभाजन पेश किया गया था। जिसमें अपीलांट का 1/20 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1648 मे अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया व खसरा नम्बर 1676 में अपीलांट का 1/20 हिस्सा खातेदारी मे दर्ज था। खसरा नम्बर 1676 में 1/20 हिस्सा होने के उपरान्त अपीलांट को हिस्से से महरूम रखते हुए खेतों का बंटवाड़ा करवा दिया व अपीलांट का हिस्सा भी रेस्पोडेंट्स ने बांटकर अपने साथ मिला दिया। विभाजन आदेश

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पारित करने से पूर्व तहसीलदार गडरारोड ने मौका निरीक्षण नहीं किया गया है और राजस्थान काश्तकारी नियम की पालना नहीं की गई है। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि अपीलांट को इस गलत आदेश की जानकारी दिनांक 20..8.2013 को हुई जिस पर उसके द्वारा तहसील कार्यालय गडरारोड से दिनांक 21.08.2013 को जाकर उक्त आदेश की नकले प्राप्त की तब अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ तब ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मियाद यह अपील पेश की है। इसलिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2013 को निरस्त कर, खसरा नम्बर 1676 रकबा 71–02 बीघा मे अपीलांट को उसका हिस्सा दिलाया जाए।

5. इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क कि अपीलांट एंव रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन आपसी सहमति से हिस्सा एंव कब्जा अनुसार पेश हुआ है,,मगर विभाजन आदेश में प्रत्येक खातेदार का अलग अलग हिस्सा नहीं बताया गया है,जो राजस्थान काश्तकारी नियमों के अनुरूप विभाजन आदेश पारित नहीं हुआ है। इसलिये मामला पक्षकारान के कब्जा एंव हिस्सा अनुसार रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एंव राजकीय अभिभाषक के तर्को पर मनन किया। अपील पत्रावली एंव अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार गडरारोड द्वारा पारित विभाजन आदेश 19.02.2013 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा लालासर के खसरा नम्बर 1676 रकबा 71 बीघा 02 विस्वा व खसरा नम्बर 1648 रकबा 402 बीघा 13 विस्वा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 19 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। अपीलांट का यह कथन है कि खसरा नम्बर 1648 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया था व खसरा नम्बर 1676 में अपीलांट का 1/20 हिस्सा खातेदारी में होने के बावजूद भी उसको उसके हिस्से से महरूम रखते हुए खेतों का बंटवाड़ा करवा दिया व अपीलांट का हिस्सा भी रेस्पोडेंट ने बांटकर अपने साथ मिला दिया। पत्रावली के अवलोकन से दोनो पक्षकारान द्वारा वास्तविक कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्तावित किया गया। विभाजन अनुसार प्रत्येक पक्ष को उक्त खसरान में उसके हिस्से अनुसार रकबा मिलना चाहिये। जबकि उक्त खसरान में प्रत्येक खातेदार का कितना–कितना हिस्सा बनता है,और उसे कितना हिस्सा दिया गया है,उसे विभाजन आदेश में नहीं दर्शाया जाकर संयुक्त रूप से लिखा गया हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रह है कि प्रत्येक खातेदार का कितना हिस्सा था और कितना हिस्सा दिया गया है। इस

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 (क) से (ड़)का अवलोकन किया गया है। नियम 20(क)से (ड़) मे यह प्रावधान है कि–

(क)प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्याकन उस जोत में उसके हिस्से(शेयर)से आनुपातिक होगा।

(ख)प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एक साथ(compact) होगा।

(ग)जहॉ तक संभव हो,किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उतम कोटि की भूमि नहीं दी जायेगी।

(घ)जहॉ तक संभव हो,विधमान जोतों के टुकड़े नहीं किये जायेगें।

(ड़)भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है,यथासंभव उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा,यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी नियम 20 (क) से (ड़)के प्रावधानों की पालना नही की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2013 को अपास्त किया जाता है और मामला तहसीलदार, गडरारोड को प्रति–प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि राजस्थान काश्तकारी नियम,1955 के नियम 20 की पालना कर, बाद जॉच नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 25.10.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner